

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/योजना/साय.वित./2012/ 142

भोपाल, दिनांक 23.5.12

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण,
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश।


विषय :- निःशुल्क सायकिल प्रदाय योजना वर्ष 2012-13

—0—

निःशुल्क सायकिल प्रदाय योजना अंतर्गत वर्ष 2012-13 में ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा 9वीं में अध्ययनरत ऐसे बालक/बालिकाए इस योजना से लाभांवित होंगे, जिनके गांव में शास. हाईस्कूल स्थापित नहीं है तथा वे एक गांव से दूसरे गांव/शहर में शास. हाईस्कूल में अध्ययन के लिए जाते हैं।

- (2) सायकिल प्रदाय योजना अंतर्गत पात्रताधारी बालक/बालिका को उनकी पसंद की सायकिल क्रय करने हेतु पात्र बालक/बालिका अथवा उनके पालक को ₹ 2400 के रेखांकित (Crossed) चेक शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के माध्यम से प्रदाय किये जायेंगे। चेक पालक के नाम से बालक का नाम भी अंकित करते हुये जारी किया जाए। उदाहरण के लिये यदि बालक का नाम लक्ष्मण है और पिता का नाम मोहन सिंह है तो चेक "मोहन सिंह F/O लक्ष्मण" के नाम से जारी किया जाये।
- (3) सायकिल का मूल्य यदि ₹ 2400 से अधिक होता है तो अधिक राशि का भुगतान हितग्राही बालक/बालिका के पालक द्वारा वहन किया जायेगा।
- (4) हितग्राही बालक/बालिका के पात्रता निर्धारण का दायित्व संस्था प्रमुख का होगा तथा सायकिल का क्रय एवं उसकी गुणवत्ता व पसंद का दायित्व हितग्राही बालक/बालिका एवं उसके पालक का होगा।
- (5) ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे विद्यालय जिन्हें शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के वर्तमान बैंक खाते से चेक वितरण करने में इस कारण कठिनाई हो कि बैंक शाखा ग्राम से बहुत दूर है। वे शाला प्रबंधन एवं विकास समिति का अतिरिक्त बैंक खाता केवल सायकिल प्रदाय योजना के चेक वितरण के लिए विद्यालय के समीपस्थ गांव में खोल सकते हैं।

- (6) बालक/बालिकाओं को इस योजना अंतर्गत चेक का प्रदाय प्रवेश उत्सव के समय निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के साथ समारोह आयोजित करके किया जायेगा। इस समारोह में जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जायेगा।


(अरुण कोचर)

आयुक्त


लोक शिक्षण, म.प्र.

भोपाल, दिनांक 28.5.2012

पृष्ठा क्रमांक/योजना/साय.वित./2011/143

प्रतिलिपि:—

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. निज सहायक, मा. मंत्रीजी जी म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म.प्र.।
5. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।


आयुक्त 22/5/12

लोक शिक्षण, म.प्र.